GJEPC™
INDIA
SPONSORED BY THE MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

परिशिष्ट-1

वित्त वर्ष 2014-2015 के लिए सदस्यता शुल्क

1. **सदस्यता शुल्क :** वर्ष 2014-15 के लिए सदस्यता शुल्क चालान में दर्शाए गए निर्यात एवं आयात की स्वत: घोषणा के साथ वर्ष 2013-14 में फर्म के निर्यात निष्पादन के अनुसार देय होगा।

2. **सेवा कर :** दिनांक 07-07-2009 की अधिसूचना सं. 16/2009-एसटी के अनुसार प्रवेश शुल्क और सदस्यता पर 12.36% की दर से सेवा कर लागू होगा।

3. वर्ष 2014-15 के लिए आपकी एसोसिएट सदस्यता/साधारण सदस्यता के नवीनीकरण हेतु आपके द्वारा निम्नलिखित राशि देय है :

वर्ष 2013-2014 के दौरान रत्न एवं आभूषण का निर्यात निष्पादन	वर्ष 2014-2015 के लिए सदस्यता शुल्क ₹	सेवा कर 12.36% की दर से ₹	देय कुल शुल्क ₹
25 लाख ₹ तक निर्यात	6,000/-	742/-	6,742/-
25 लाख ₹ से अधिक और 1 करोड़ ₹ तक निर्यात	10,000/-	1,236/-	11,236/-
1 करोड़ ₹ से अधिक और 5 करोड़ ₹ तक निर्यात	15,000/-	1,854/-	16,854/-
5 करोड़ ₹ से अधिक और 15 करोड़ ₹ तक निर्यात	30,000/-	3,708/-	33,708/-
15 करोड़ ₹ से अधिक और 50 करोड़ ₹ तक निर्यात	40,000/-	4,944/-	44,944/-
50 करोड़ ₹ से अधिक और 100 करोड ₹ तक निर्यात	65,000/-	8,034/-	73,034/-
100 करोड़ ₹ से अधिक और 500 करोड़ ₹ तक निर्यात	1,00,000/-	12,360/-	1,12,360/-
500 करोड़ ₹ से अधिक निर्यात और 1000 करोड़ ₹ तक निर्यात	1,50,000/-	18,540/-	1,68,540/-
1000 करोड़ ₹ से अधिक निर्यात	2,00,000/-	24,720/-	2,24,720/-

नये सदस्य के लिए प्रवेश शुल्क/विलम्ब से नवीनीकरण शुल्क ₹ 5000/- सेवा कर / 12.36%

5. **बकाया भुगतान :** विधिवत बुलाई गई प्रशासन समिति (सीओए) की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार यह भी नोट किया गया कि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में परिषद का किसी सदस्य पर बकाया कोई या सभी भुगतान को वित्त वर्ष 2014-15 के लिए संबद्ध फर्म की सदस्यता के नवीनीकरण के समय गंभीरता से लिया जाएगा यदि वह परिषद की संतुष्टि के अनुरुप न्यायोचित नहीं है।

   इस संदर्भ में, यह सूचित किया जाए कि परिषद को देय सभी भुगतानों को उस स्थिति में बकाया माना जाएगा यदि वह परिषद की ओर बकाया और देय हो और वह परिषद द्वारा जारी किए गए बिल की तारीख से 3 (तीन) माह से अधिक समय से बकाया हो तो इस संबंध में परिषद के निर्णय को अंतिम माना जाएगा यदि बिल की राशि के कोई असंगति/विवाद हो तो ऐसे बिल जारी करने की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर परिषद की जानकारी में न लाया गया हो उसे भी बकाया माना जाएगा।

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद
The Gem & Jewellery Export Promotion Council

क्षेत्रीय कार्यालयः F-17-18, फ़्लैटेड फैक्टरिज़ कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान, नई दिल्ली-110 055, (भारत)
Regional Office : F-17-18, Flatted Factories Complex, Jhandewalan, New Delhi-110 055. (India)
फोन/Tel. : 91-11-4626 6920 to 4626 6926 फैक्स/Fax : 91-11-2367 5274
ई-मेल/E-mail : delhi@gjepcindia.com वेबसाइट/Website : www.gjepc.org

मुख्य कार्यालयः टॉवर-अे, अेडब्ल्यु-1010, जी. ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. (भारत)
Head Office : Tower-A, AW-1010, G Block, Bharat Diamond Bourse, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051. (India)
फोन/Tel. : 91-22-2654 4600 फैक्स/Fax : 91-22-2652 4764.
ई-मेल/E-mail : gjepc@vsnl.com / ho@gjepcindia.com
वेबसाइट/Website : www.gjepc.org

5. **कंपनी समूह :** सदस्यों के लिए यह नोट करना अनिवार्य है कि कंपनी समूह की प्रत्येक कंपनी के लिए सदस्यता का नवीनीकरण करना अपेक्षित है, ऐसा न करने पर सदस्यता केवल उस कंपनी विशेष के लिए ही वैध मानी जाएगी जिसने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करा लिया है और जिसका नाम सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र और प्राप्ति चालानों में दर्शाया गया है। कृपया ज्ञात रहे कि परिषद द्वारा प्रदत्त सुविधाएं उन्हीं सदस्यों को प्रदान की जाएंगी जिनके नाम सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र, प्राप्ति चालान, सदस्यता प्रमाण-पत्र और परिषद द्वारा जारी आरसीएमसी में दर्शाए गए हों। अतः यह उल्लेखनीय है कि किसी समूह में आने वाली प्रत्येक कंपनी को निहित शर्तों के अनुसार अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना चाहिए।
6. ***नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत न करना :*** प्रशासन समिति ने आगे यह निर्णय लिया कि सदस्यता के नवीनीकरण के अभाव में फर्म को संस्था के ज्ञापन और अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.1 तथा 11.2 के अनुसरण में परिषद द्वारा प्रदत्त विभिन्न विशेषाधिकारों का प्रयोग करने और परिषद के सदस्यों को निम्नलिखित में भागीदारी हेतु प्रदान किए जाने वाले ऐसे कार्यकलापों तथा सुविधाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी:
   - भारत/विदेश में कोई आयोजन/प्रदर्शनी।
   - प्रतिनिधिमंडलों में भागीदारी।
   - केता-विकेता सम्मेलनों में भागीदारी।
   - वार्षिक पुरस्कार हेतु नामांकन।
   - सॉलिटेयर इंटरनेशनल, आइडियल कट एवं परिपत्रों की प्राप्ति।
   - सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में उपस्थिति।
   - वीजा हेतु संस्तुति पत्र।
   - विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों, व्यापार संवर्धन दौरों, विदेश में ब्रांडेड आभूषणों के प्रदर्शन आदि में भागीदारी हेतु अनुमतियाँ।

सामान्य नियम एवं विनिमय

1. सदस्यता नियमों के बारे में मेमोरंडम एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के परिच्छेद-1 और सदस्यता हेतु मापदंड।

3. सदस्यों की श्रेणियाँ एवं सदस्यता की अहर्ताएं

3.1. **परिषद के सदस्यों की श्रेणियाँ.**

परिषद में सदस्यों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होगीं अर्थात:

(क) एसोसिएट सदस्य :

(ख) साधारण सदस्य :

3.2. **एसोसिएट सदस्य**

कोई व्यक्ति उस उत्पाद के संबंध में जिससे परिषद संबंधित है, विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार से आयात-निर्यात कोड संख्या प्राप्त करने के बाद एसोसिएट सदस्य के रुप में परिषद में प्रवेश लेने का पात्र होगा।

3.3. **साधारण सदस्य**

परिषद की साधारण सदस्यता हेतु पात्रता के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करनी चाहिए, अर्थात:

(क) वह अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी कम से कम तीन वर्ष तक परिषद की एसोसिएट सदस्य होनी चाहिए।

(ख) उसके अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी के खाते में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एसोसिएट सदस्य हो।

(ग) उत्पाद के संबंध में औसत निर्यात नीचे उल्लिखित राशि से कम नहीं होने चाहिए।

(i) लघु उद्योग 10 लाख ₹

(ii) अन्य 25 लाख ₹

GJEPC™ INDIA
SPONSORED BY THE MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

8. परिषद की सदस्यता हेतु अयोग्यताएँ।

8.1. अयोग्यता

कोई व्यक्ति परिषद का सदस्य बनने अथवा सदस्य के रुप में बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा, यदि

(क) उसे सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रुप से असक्षम पाया गया हो;

(ख) उसने दिवालियापन हेतु न्याय-निर्णयन हेतु आवेदन किया हो अथवा ऐसा न्यायिक आदेश निर्णित हो गया हो;

(ग) उसे किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक आचरण के किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो और उसे 6 माह से अधिक के कारागार की सजा सुनाई गई हो;

(घ) उसने अथवा ऐसी किसी फर्म जिसका वह भागीदार है अथवा ऐसी किसी निजी कंपनी जिसका वह निदेशक है, ने अधिनियम की धारा 295 या धारा 299 का उल्लंघन किया हो;

(ङ) वह अधिनियम की धारा 203 के अंर्तगत न्यायालय के आदेश्ा द्वारा अयोग्य बन गया हो;

(च) वह उस कंपनी का सदस्य न रह गया हो जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है अथवा ऐसी कंपनी जो परिषद की सदस्य न रह गई हो;

(छ) अनुच्छेद 8.2 के अंतर्गत उसका नाम सदस्य रजिस्टर से हटा दिया गया हो;

8.2. समिति द्वारा निष्कासन

समिति किसी सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद किसी विशिष्ट अवधि के लिए अथवा अनिश्चित काल के लिए उक्त सदस्य के नाम को सदस्य रजिस्टर से हटा सकती है;

- यदि उसने सदस्यता की किसी शर्त का उल्लंघन किया हो, अथवा
- यदि उसके पास सदस्यता शुल्क अथवा परिषद को उसकी ओर से देय किसी अन्य राशि का भुगतान 6 माह से अधिक समय तक लंबित पड़ा हो, अथवा
- यदि वह परिषद या समिति की बैठकों में असमान्य आचरण का दोषी पाया गया हो; अथवा
- यदि उसे अन्यथा सदस्य बनने में आचरणगत दोषी पाया गया हो, अथवा
- यदि वह अनुच्छेद 8.1 के अंतर्गत अयोग्य बन गया हो;

8.3 एसोसिएट सदस्यता में परिवर्त्तन

समिति किसी सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद साधारण सदस्य की सदस्यता को एसोसिएट सदस्यता में परिवर्तित कर सकती है यदि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के बाद वित्त वर्ष के दौरान उत्पाद के निर्यातक के रुप में उसका निर्यात निष्पादन अनुच्छेद 3.2 के खण्ड (ख) में उल्लिखित औसत से कम रहा हो।

11. सदस्यों के विशेषाधिकार

11.1. साधारण सदस्य

परिषद के मेमोरंडम एवं आर्टिकल में साधारण सदस्यों को प्रदत्त सभी अधिकारों के साथ इन अंतर्नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन साधारण सदस्यों के पास निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार होंगे अर्थात :

(क) समिति के सदस्य के चुनाव हेतु उम्मीदवार के रुप में खडे होने और वोट देने का अधिकार तथा परिषद के किसी बैठक में लाए गए सभी मामलों पर वोट देने का अधिकार बशर्तें मतदान के वर्ष में 1 अप्रैल को उनके

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद
The Gem & Jewellery Export Promotion Council

क्षेत्रीय कार्यालयः F-17-18, फ़्लैटेड फ़ैक्टरिज़ कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान, नई दिल्ली–110 055, (भारत)
Regional Office : F-17-18, Flatted Factories Complex, Jhandewalan, New Delhi-110 055. (India)
फोन/Tel. : 91-11-4626 6920 to 4626 6926 फैक्स/Fax : 91-11-2367 5274
ई–मेल/E-mail : delhi@gjepcindia.com वेबसाइट/Website : www.gjepc.org

मुख्य कार्यालयः टॉवर–ऐ, ऐडब्ल्यु–1010, जी. ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बान्द्रा–कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051. (भारत)
Head Office : Tower-A, AW-1010, G Block, Bharat Diamond Bourse, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051. (India)
फोन/Tel. : 91-22-2654 4600 फैक्स/Fax : 91-22-2652 4764.
ई–मेल/E-mail : gjepc@vsnl.com / ho@gjepcindia.com
वेबसाइट/Website : www.gjepc.org

द्वारा परिषद की तरफ अंशदान अथवा अन्य राशि अथवा प्रभार की कोई राशि बकाया न हो।

(ख) इन अंतर्नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार बैठक का आग्रह करने का अधिकार;

(ग) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समिति की वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त करने का अधिकार;

(घ) निर्धारित शर्तों पर परिषद का प्रकाशन प्राप्त करने का अधिकार; और

(ङ) निर्धारित शर्तों पर ऐसी सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार जिन्हें परिषद द्वारा समय-समय पर ऐसे सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए।

11.2. एसोसिएट सदस्य

परिषद के मेमोरंडम एण्ड आर्टिकल में सदस्यों को प्रदत्त सभी अधिकारों के साथ सदस्यों के पास निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार होंगे, अर्थात

(क) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार;

(ख) निर्धारित शर्तों पर परिषद के प्रकाशन प्राप्त करने का अधिकार; और

(ग) निर्धारित शर्तों पर ऐसी सभी सुविधाओं* का उपयोग करने का अधिकार जिन्हें परिषद द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराया जाए।

★ सुविधाएं, अर्थात

(i) भारत/विदेश में कोई आयोजन/प्रदर्शनी.

(ii) प्रतिनिधिमंडल.

(iii) क्रेता-विक्रेता सम्मेलन.

(iv) वार्षिक पुरस्कार.

(v) सॉलिटेयर इंटरनेशनल, आइडियल कट एवं परिपत्रों की प्राप्ति.

(vi) सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में उपस्थिति.

(vii) वीजा हेतु संस्तुति पत्र.

(viii) विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों हेतु व्यक्तिगत रुप से ले जाने वाली मदो के बारे में अनुमति.

11.3. नामांकित एवं सहयोजित सदस्य

किसी नामांकित या सहयोजित सदस्य के पास मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

13. विशेषाधिकार का स्थगन

13.1. अशदान का भुगतान न करना

यदि कोई सदस्य (साधारण या एसोसिएट), जिस वर्ष के लिए अंशदान देय बनता है, उस वर्ष की 30 अप्रैल तक अपने वार्षिक अंशदान का भुगतान करने में विफल रहता है, तो

(क) वह ऐसे सदस्य के रुप में किसी अधिकार या विशेषाधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा, और

(ख) समिति उसकी सदस्यता निलंबित कर सकती है, उसका निलंबन तब तक रहेगा जब तक वह बकाया भुगतान नहीं करता है और समिति इस तरह के बकाया लिखित रुप में स्वीकार करती है और बाद में उसकी सदस्यता को पुर्नस्थापित कर सकती है।